**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3112**
**06.12.2019 को उत्तर के लिए**

**जनजातियों के लिए घरों और सड़कों का निर्माण**

**3112. श्री सी॰ एन॰ अन्नादुरईः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु में जवाधू पहाड़ी में जनजातीय निवासियों हेतु आवासों और सड़कों के निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा मंजूरी देने में अत्यधिक विलंब के कारण अभी शुरू होना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में जनजातीय लोगों के कष्टों को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) से (ग) : सरकार की नीति के अनुसार, वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) के तहत विचार के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में तमिलनाडू में जवाधू पहाड़ी में जनजातीय निवासियों हेतु वन क्षेत्र में आवासों और सड़कों के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जनोपयोगी अवसंरचना के विकास जिसमें वन क्षेत्र शामिल हैं, को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाओं की 15 श्रेणियों जिनमें 1 हेक्टेयर तक के वन क्षेत्र सहित सड़कों का निर्माण/सड़कों को चौड़ा करना शामिल है, के लिए वन भूमि के वनेतर उपयोग की अनुमति देने हेतु एफसीए के तहत सामान्य अनुमोदन प्रदान किया गया है।

25 अक्तूबर, 1980 से पहले वन क्षेत्रों में निर्मित सड़कों का उन्नयन, उन्हें "कच्चा से पक्का" बनाने हेतु, एफसीए के प्रावधानों को लागू किए बिना भी अनुमेय है। वन सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग और अलकतरा (बिटूमिनस) डालने संबंधी कार्यों (प्रबंधन कार्य), जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लाया गया है, के लिए भी एफसीए के प्रावधानों को लागू किए बिना अनुमति दी गई है।

****